

कार्य वितरण

टीम

क्रम सं.	प्रभाग/पता/ईमेल	कार्य का आवंटन	नामित अधिकारी
1	प्रवासी रोजगार प्रभाग एवं उत्प्रवासी महा संरक्षक (प्रोटेक्टर जनरल) का कार्यालय विदेश मंत्रालय, अकबर भवन, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली 110021.	> सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और पुलिस अधिकारियों तथा भारतीय मिशनों/विदेश स्थित पोस्ट के साथ समन्वय सहित पंजीकृत भर्ती एजेंटों से संबंधित शिकायतें और सभी मामले; > जनशक्ति भर्ती के लिए परियोजना निर्यातकों/विदेशी नियोक्ताओं के परमिट से संबंधित सभी मामले; तथा > कारण बताओ नोटिस (पंजीकृत भर्ती एजेंटों के खिलाफ) जारी करना।	निदेशक (ओई-I)
		> सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और पुलिस अधिकारियों एवं भारतीय मिशनों/विदेश स्थित पोस्ट के साथ समन्वय सहित अवैध एजेंटों से संबंधित शिकायतें और सभी मामले; तथा > अभियोजन स्वीकृतियां जारी करना (अवैध एजेंटों के खिलाफ)।	निदेशक (ओई -II)
		- उत्प्रवास अधिनियम, 1983; - उत्प्रवास अधिनियम की नीति से संबंधित सभी मामले, ओ ई प्रभाग का बजट आवंटन, आदि, संसदीय मामले; तथा - ई-माइग्रेट परियोजना। - ओई और पीजीई के बीच समन्वय	निदेशक (ओई -III)